

निका की जाती है। 27-5-22

27-5-22 पत्रादेश पेश हुआ। कादिवा  
वकील उपस्थित। जनादेश की फालत  
में पत्रादेश 6-7-22 को पेश हो।

Wb.

6-7-22 पत्रावली पेश हुआ। वादी वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय स्वयं में  
कार कार रोक रोक कर आवाजे  
लगायी गयी। वादी वकील  
आरंभ ही स्वयं वादी उपस्थित  
हुये। अतः पत्रावली सिविल  
प्रक्रिया संहिता के आदेश-9  
विधम 3 (अदम परकी अदम  
हजरी में शकित की जाती है)

Wb.  
उप जिला कलेक्टर  
चौथ का बरवाड़ा

